भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 644

उत्तर देने की तारीख: 06.02.2024

एनएपीडीडीआर का कार्यान्वयन

644. प्रो. सौगत राय:
श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के नागरिकों में विभिन्न प्रकार की नशीली दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों के उपयोग के बारे में कोई जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और आयु-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) भारत की जनता को नशीली दवाओं और स्वापक पदार्थों के प्रवाह से बचाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) विगत तीन वर्षों से अब तक नशीली दवाओं की मांग में कमी हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) और इसके कार्यान्वयन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ड.) नशे की लत के शिकार/नशीली दवाओं और शराब का सेवन करने वाले लोगों की प्रतिशतता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(च) लोगों को ऐसी जघन्य आदतों से बचाने के लिए मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों के हस्तक्षेपों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क) से (ड): वर्ष 2018 में भारत में नशीले पदार्थों के दुरूपयोग की प्रमात्रा तथा प्रतिमान पर आयोजित व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार नशीले पदार्थों के दुरूपयोग का ब्यौरा इस प्रकार है:

नशीले पदार्थ	बच्चे एवं किशोर (10-17 वर्ष)		वयस्क (18-75 वर्ष)	
	व्यापकता (% में)	दुरूपयोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या	व्यापकता (% में)	दुरूपयोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या
शराब	1.30	30,00,000	17.10	15,10,00,000
कैनबिस	0.90	20,00,000	3.30	2,90,00,000
नशीले पदार्थों	1.80	40,00,000	2.10	1,90,00,000

शामक	0.58	20,00,000	1.21	1,10,00,000
इनहेलेंट	1.17	30,00,000	0.58	60,00,000
कोकीन	0.06	2,00,000	0.11	10,00,000
एटीएस	0.18	4,00,000	0.18	20,00,000
हैलुसिनोजन	0.07	2,00,000	0.13	20,00,000

इस सर्वेक्षण का विस्तृत विवरण https://socialjustice.gov.in/writereaddata/UploadFile/Survey%20Report636935330086452652.pdf पर देखा जा सकता है।

ड्रग्स के दुरूपयोगकर्ताओं के राज्य/संघ राज्य-वार तथा नशीले पदार्थ-वार आंकड़े:-

क्र.सं.	नशीले पदार्थ	शराब	कैनबिस	अफीम	सिडेटिव	इनहेलेंट	कोकीन	एटीएस	हैलुसिनोजन
1.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दुरूपयोग की व्यापकता (%)	दुरूपयोग की व्यापकता (%)	दुरूपयोग की व्यापकता (%)	दुरूपयोग की व्यापकता (%)	दुरूपयोग की व्यापकता (%)	दुरूपयोग की व्यापकता (%)	दुरूपयोग की व्यापकता (%)	दुरूपयोग की व्यापकता (%)
2.	जम्मू और कश्मीर	4	1.54	5.05	1.71	1.01	0.01	0.02	0.01
3.	हिमाचल प्रदेश	10.1	3.58	5.78	2.24	2.91	0.04	0.01	0.00
4.	पंजाब	34	14.23	9.91	4.61	0.87	0.69	0.63	0.00
5.	चंडीगढ़	20.1	0.80	2.99	1.61	0.14	0.05	0.09	0.01
6.	उत्तराखंड	23.2	4.00	2.66	2.33	0.82	0.02	0.03	0.09
7.	हरियाणा	25.2	7.44	8.91	3.05	2.20	0.10	0.38	0.14
8.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	25	9.30	7.98	3.19	3.80	0.09	0.61	0.41
9.	राजस्थान	2.3	0.16	1.53	0.36	0.11	0.11	0.10	0.10
10.	उत्तर प्रदेश	29.4	9.16	2.19	1.27	0.54	0.02	0.09	0.02
11.	बिहार	1	1.68	0.20	0.07	0.06	0.00	0.01	0.02
12.	सिक्किम	18.3	12.60	19.21	17.10	3.86	0.63	0.06	0.18
13.	अरुणाचल प्रदेश	37.3	9.12	23.00	6.46	4.18	3.30	3.67	0.30
14.	नागालैंड	9.5	5.63	26.06	10.82	0.67	0.30	0.17	0.00
15.	मणिपुर	27.6	4.40	14.63	8.59	1.74	0.00	4.73	0.23
16.	मिजोरम	9.6	3.79	26.39	7.53	2.27	0.00	0.30	0.09
17.	त्रिपुरा	38.4	2.36	5.12	0.67	0.00	0.00	0.01	0.01
18.	मेघालय	4.2	2.09	6.58	1.09	0.06	0.06	0.05	0.00
19.	असम	10.4	2.68	2.99	0.92	1.02	0.01	0.13	0.02
20.	पश्चिम बंगाल	18.2	1.01	0.86	0.78	0.31	0.00	0.00	0.01
21.	झारखंड	7.8	0.73	1.13	0.63	1.29	0.01	0.04	0.03
22.	ओडिशा	18.9	6.07	2.93	1.82	0.02	0.00	0.09	0.00
23.	छत्तीसगढ	43.5	5.89	1.60	1.61	0.48	0.00	0.00	0.00
24.	मध्य प्रदेश	21.4	1.61	1.26	1.12	0.93	0.07	0.14	0.05
25.	गुजरात	4.3	0.80	1.46	1.38	0.08	0.00	0.00	0.00
26.	दमन और दीव	20.8	2.04	9.11	0.15	0.00	1.44	11.23	0.03
27.	दादरा एवं नगर हवेली	12.8	0.33	1.66	0.28	1.66	0.86	0.13	0.11

28.	महाराष्ट्र	5.8	2.22	1.20	1.22	0.65	0.57	0.50	0.62
29.	आंध्र प्रदेश	17.3	1.18	2.26	1.79	0.66	0.00	0.02	0.00
30.	कर्नाटक	7.2	0.60	1.33	0.51	0.37	0.09	0.13	0.06
31.	गोवा	28.6	1.48	3.39	1.42	2.26	0.39	0.67	0.07
32.	लक्षद्वीप	0.2	0.20	2.33	1.19	0.92	0.66	0.97	0.88
33.	केरल	13.4	1.43	0.86	0.54	0.46	0.05	0.13	0.37
34.	तमिलनाडु	15.5	0.18	0.27	0.32	0.18	0.01	0.03	0.05
35.	पुदुचेरी	11	0.19	2.19	4.20	1.49	0.00	0.18	0.03
36.	अंडमान और निकोबार	29.6	0.30	1.80	0.89	1.45	0.52	0.76	0.98
37.	तेलंगाना	19	0.72	2.06	1.31	0.62	0.08	0.74	0.66
38.	भारत	17.1	3.31	2.12	1.21	0.58	0.11	0.18	0.13

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश में ड्रग्स की मांग में कटौती के लिए नोडल मंत्रालय है। इस विभाग ने नशीले पदार्थों के दुरूपयोग के मामले से निपटने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम ड्रग्स की मांग में कटौती की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) बनाई है तथा इसे कार्यान्वित कर रहा है। इस केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

i. राज्य/संघ राज्य आदि द्वारा ड्रग्स की मांग में कटौती हेतु कार्यक्रम, क्षमता निर्माण, जागरूकता निर्माण और निवारक शिक्षा के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य (यूटी) प्रशासन।
ii. किशोरों के मध्य कम उम्र में ड्रग्स के दुरुपयोग की शुरूआत की रोकथाम करने हेतु समुदाय आधारित पीयर लेड इंटरवेंशन (सीपीएलआई), आउटरीच और ड्राप-इन केन्द्रों(ओडीआईसी) तथा जिला नशामुक्ति केंद्र (डीडीएसी), नशीली दवाओं के दुरूपयोग के पीडितों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) के रखरखाव और संचालन हेतु एनजीओ/वीओ; और
iii. नशामुक्ति उपचार सुविधाओं (एटीएफ) हेतु सरकारी अस्पताल

एनएपीडीडीआर स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए हैं:

i. **ये 342 एकीकृत नशामुक्ति पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए)** जो ड्रग्स के पीडितों का उपचार परामर्श, विषहरण/नशामुक्ति, पश्चातवर्ती देखभाल तथा समाज की मुख्य धारा में वापसी कराते हैं।
ii. **ये 47 समुदाय आधारित पीयर लेड इंटरवेंशन (सीपीएलआई)** कार्यक्रम ड्रग्स के बारे में जागरूकता निर्माण तथा जीवन कौशल सिखाने के लिए 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के साथ कार्य करते हैं।

iii. ये **74 आउटरीच तथा ड्राप इन केन्द्र (ओडीआईसी)** जो छंटनी, मूल्यांकन तथा परामर्श की व्यवस्था तथा सुरक्षित जगह प्रदान करते हैं तथा तत्पश्चात उपचार एवं पुनर्वास सेवाओं को रेफरल तथा लिंकेज प्रदान करते हैं।

iv. सरकारी अस्पतालों में **66 नशामुक्त उपचार सुविधाएं (एटीएफ) उपलब्ध हैं।**

v. **ये 53 जिला नशा मुक्ति केंद्र (डीडीएसी)** जो एक ही छत के नीचे आईआरसीए, ओडीआईसी एवं सीपीएलआई द्वारा प्रदान की गई सभी तीनों सुविधाओं को प्रदान करता है।

vi. इन सभी सुविधाओं को जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए **जियो-टेग** किया गया है।

vii. **नशा मुक्ति के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन, 14446** जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता के इच्छुक व्यक्तियों को तुरंत रेफरल सेवाएं तथा प्राथमिक परामर्श प्रदान करने हेतु संचालित किया जा रहा है।

viii. **नवचेतना मॉड्यूल**, अध्यापक प्रशिक्षण मॉडयूलों को छात्रों (6 से 11 कक्षा), अध्यापकों तथा अभिभावकों को नशा मुक्ति से संबंधित कार्यनीतियों एवं जीवन कौशल के प्रति जागरूक बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है।

गत तीन वर्षों के दौरान एनएपीडीडीआर का कार्यान्वयन नीचे दिया गया है:

	एनएपीडीडीआर के तहत जारी धनराशि और लाभार्थी (राशि करोड़ में)								
		2020-21			2021-22		2022-23		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	एनजीओ/वीओ को जारी निधियां	एसएपी को जारी निधियां	लाभार्थी	एनजीओ/वीओ को जारी निधियां	लाभार्थी	एनजीओ/वीओ को जारी निधियां	एसएपी को जारी निधियां	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	3.94	3.71	6878	3.12	18658	3.99	0	20036
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0
3	अरूणाचल प्रदेश	0	0	345	0	30	0.05	0	5
4	असम	6.69	0	15995	5.24	26984	4.37	0	26869
5	बिहार	3.97	0	1414	2.05	1583	1.84	0	1487
6	चंडीगढ़	0.16	0	842	0.27	1007	0	0	1145
7	छत्तीसगढ़	0.88	0	6058	0.86	16580	1.29	0	17262
8	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दमन और दीव	0.18	0	165	0.2	160	0.24	0	182
10	दिल्ली	3.92	0	12993	4.37	18549	3.47	0	26635
11	गोवा	0	0	0	0	3	0	0	3
12	गुजरात	1.7	0	1289	2.35	1571	2.53	0	1607
13	हरियाणा	2.47	0	5692	1.98	7352	2.03	0	6893
14	हिमाचल प्रदेश	0.4	0	727	1.29	12665	0.91	0	3207
15	जम्मू और कश्मीर	0.84	0	1509	0.46	4365	2.37	1.25	9774
16	झारखंड	0.39	0	170	0.19	195	0.24	0	194
17	कर्नाटक	9.22	0	7153	7.67	7206	9	0	7179
18	केरल	5.96	0	4239	3.62	4746	3.54	0	10385
19	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0
20	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	4.8	0	43993	2.84	41467	3.5	0	55461

22	महाराष्ट्र	17.9	0	9273	8.77	8630	9.88	0	8705
23	मणिपुर	6.34	0	7974	7.2	9026	8	0	10313
24	मेघालय	0.12	0	297	0	40	0.25	0	196
25	मिजोरम	2.17	0	1862	1.95	2025	2.25	0	2196
26	नागालैंड	1.4	0	1313	1.97	1440	1.19	0	1293
27	ओडिशा	10.66	0	24497	10.07	28223	9.31	0	32241
28	पुदुचेरी	0.66	0	365	0.22	499	0.43	0	463
29	पंजाब	1.55	0	10534	1.08	10159	1.01	0	11239
30	राजस्थान	6.59	0	10117	3.74	24001	4.87	0	28982
31	सिक्किम	0.42	0	194	0.46	178	0.19	0	165
32	तमिलनाडु	5.66	0	3320	4.95	3938	5.19	0	3668
33	तेलंगाना	2.45	0	5924	2.32	6020	2.49	0	6174
34	त्रिपुरा	0.08	0	614	0.08	762	0.14	0	416
35	उत्तर प्रदेश	10.49	0	14295	6.09	15523	4.97	0	31041
36	उत्तराखंड	0.39	0	1256	1.28	4718	1.63	0	5230
37	पश्चिम बंगाल	2.14	0	7118	2.43	8099	2.43	0	8942
	अन्य/एनएमबीए/एसएपी/ नवचेतना वगैरह	31.1	0	0	1.81	0	3.92	0	
	कुल	145.63	3.71	208415	90.93	286402	97.51		339588

* एसएपी को वित्तीय वर्ष 2021-22 से बंद कर दिया गया है।

(च) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने ऐसी जघन्य आदतों से लोगों को बचाने के लिए गत तीन वर्षों का आपर्ति से संबंधित इंटरवेंशनों का ब्यौरा अग्रेषित किया है जो **अनुबंध क'** पर दिया गया है। लोगों को ऐसी जघन्य आदतों से बचाने के लिए गत तीन वर्ष के मांग संबंधी इंटरवेशनों का ब्यौरा **अनुबंध-ख** में दिया गया है।

अनुबंध-क

वर्ष 2018-2023 (नवंबर) की अवधि के दौरान सभी डीएलईए द्वारा किए गए मामले/गिरफ्तारी/ड्रग की जब्ती*

	2021	2022	2023 (नवंबर)*
कुल मामलों	68,144	102,769	94,472
भारतीय गिरफ्तार	92,945	125,739	113,340
विदेशियों गिरफ्तार	593	777	509
कुल व्यक्ति गिरफ्तार	93,538	126,516	113,849
दवा/वर्ष	2021	2022	2023 (नवंबर)*
एसिटिक एनहाइड्राइड (किलो में)	24,265	333	40
एटीएस (किलो में)	387	1,224	3,234
कोकीन (किलो में)	364	218	175
कौडीन (किलो में)	660	355	59
कौडीन (लीटर में)	994	2,922	70
सीबीसीएस (लीटर में)	569	1,059	3,102
एफेड्रिन/स्यूडोएफेड्रिन (किलो में)	325	1,001	965
फैंटेनल एचसीएल (किलो में)	0	0	0
गांजा (किलो में)	812,545	718,376	547,108
गांजा (किलो में)	4,197	3,495	2,689
गांजा तेल (किलो में)	112	104	41
हेरोइन (किलो में)	7,197	5,410	2,333
केटामाइन (किलो में)	1	3	26
खत पत्तियां (किलो में)	47	0	320
एलएसडी (ब्लॉट में)	6,314	1,150	35,596
एमडीएमए (किलो में)	117	63	47
मेफेड्रोन (किलो में)	138	2,872	300
मेस्केलिन (किलो में)	0	2	0
मेथाक्वालोन(मैन्ड्रेक्स) (में किलोग्राम)	15	57	20
अफ़ीम का सत्व (किलो में)	96	129	175
अफ़ीम का सत्व (लीटर में)	35	0	0
अफ़ीम (किलो में)	5,161	3,805	6,215
खसखस की भूसी और खसखस का भूसा (किलो में)	642,609	398,356	466,150
इंजेक्शन (संख्या में)	173,325	91,982	103,074
सीबीसीएस (बोतल में)	1,531,666	1,320,132	1,323,710
सभी प्रकार की गोलियाँ किलोग्राम में	1,667	802	1,150
सभी प्रकार की गोलियाँ संख्या में ।	37,989,918	17,296,622	11,832,943

***अनंतिम आंकड़े**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश में ड्रग्स की मांग में कटौती के लिए एक नोडल मंत्रालय है। इस विभाग ने नशीले पदार्थों के दुरूपयोग के मामले से निपटने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम ड्रग्स की मांग में कटौती की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) बनाई है तथा इसे कार्यान्वित कर रहा है। इस केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

i. राज्य/संघ राज्य आदि द्वारा ड्रग्स की मांग में कटौती हेतु कार्यक्रम, क्षमता निर्माण, जागरूकता निर्माण और निवारक शिक्षा के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन।
ii. किशोरों के मध्य कम उम्र में ड्रग्स के दुरुपयोग की शुरूआत की रोकथाम करने हेतु समुदाय आधारित पीयर लेड इंटरवेंशन (सीपीएलआई), आउटरीच और ड्राप-इन केन्द्रों(ओडीआईसी) तथा जिला नशामुक्ति केंद्र (डीडीएसी), नशीली दवाओं के दुरूपयोग के पीडितों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) के रखरखाव और चलाने हेतु एनजीओ/वीओ; और
iii. नशामुक्ति उपचार सुविधाओं (एटीएफ) हेतु सरकारी अस्पताल

एनएपीडीडीआर स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए हैं:

i. **ये 342 एकीकृत नशामुक्ति पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए)** जो ड्रग्स के पीडितों का उपचार परामर्श, विषहरण/नशामुक्ति, पश्चातवर्ती देखभाल तथा समाज की मुख्य धारा में वापसी कराते हैं।
ii. **ये 47 समुदाय आधारित पीयर लेड इंटरवेंशन (सीपीएलआई)** कार्यक्रम ड्रग्स के बारे में जागरूकता निर्माण तथा जीवन कौशल सिखाने के लिए 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के साथ कार्य करते हैं।
iii. **ये 74 आउटरीच तथा ड्राप इन केन्द्र (ओडीआईसी)** जो छंटनी, मूल्यांकन तथा परामर्श की व्यवस्था तथा सुरक्षित जगह प्रदान करते हैं तथा तत्पश्चात उपचार एवं पुनर्वास सेवाओं को रेफरल तथा लिंकेज प्रदान करते हैं।
iv. सरकारी अस्पतालों में **66 नशामुक्त उपचार सुविधाएं (एटीएफ) हैं।**
v. **ये 53 जिला नशा मुक्ति केंद्र (डीडीएसी)** जो एक ही छत के नीचे आईआरसीए, ओडीआईसी एवं सीपीएलआई द्वारा प्रदान की गई सभी तीनों सुविधाओं को प्रदान करता है।

vi. इन सभी सुविधाओं को जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए **जियो-टेग** किया गया है।

vii. **नशा मुक्ति के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन, 14446** जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता के इच्छुक व्यक्तियों को तुरंत रेफरल सेवाएं तथा प्राथमिक परामर्श प्रदान करने हेतु संचालित किया जा रहा है।

viii. **नवचेतना मॉड्यूल**, अध्यापक प्रशिक्षण मॉडयूलों को छात्रों (6 से 11 कक्षा), अध्यापकों तथा अभिभावकों को नशा मुक्ति से संबंधित कार्यनीतियों एवं जीवन कौशल के प्रति जागरूक बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है।

*****